न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी— श्री समदरसिंह भाटी,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 29 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. हामीद पुत्र रहमान वयस्क 2. खान मोहमद पुत्र रहमान चयरक 3. जगीसा पुत्री सफीयत वयस्क 4. वाहीदा पुत्री सफीय्यत वयस्क जातियान मुसलमान निवासीयान धोबली तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा ।	1. इमाम पुत्र सतार चयस्क 2. जीया पुत्र सता वयस्क 3. यासिन खान पुत्र सुमार खान वयस्क 4. खमीशा पुत्र सतार वयस्क 5. जाकूब पुत्र सतार वयस्क 6. मोहिब पुत्र रसीद वयस्क 7. वहिया पुत्र सतार वयस्क 8. वाहिद पुत्र सत्तार वयस्क 9. सालक पुत्र रसीद जातियान मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 10. तहसीलदार साहब, सिणधरी जिला बालोतरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 10 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 15.10.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा धोबली पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोरतरा में खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 5.9300 हेक्टेयर की आई हुई है। [illegible] प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व [illegible] आदि [illegible]। उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की भूमि है जिस [illegible] प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। [illegible] तरफ वक्त विभाजन [illegible] कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षों पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहा है। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

की भूमि के सेढे पर एकतरफ विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 255, 258 आई हुई है जिससे प्रार्थीगण की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार–बार दखलंदाजी करने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त खसरा संख्या 257 की पैमाईश बाबत् तहसीलदार सिणधरी के कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थीगण के विवाद के कारण कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा सका इस प्रकार विप्रार्थीगण बार–बार प्रार्थीगण के खातेदारी के विधिक अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में बाधा कारित कर रहे है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना चाहते है तथा इसी क्रम में दो माह पूर्व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 प्रार्थी के सेढे को तोड़ कर प्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा व अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने का विप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है यदि विप्रार्थीगण अपने इस अविधिक कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अकारण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पड़ेगा, जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों के साथ भारी कुठाराघात होगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर विप्रार्थीगण को अपने खातेदारी की विवादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी व बाधा कारित करने से रोके तथा प्रार्थीगण की भूमि के उपयोग या उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति मेंः प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण के विरूद्ध आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा घोबली पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 5.9300 हेक्टेयर में विप्रार्थीगण, उसके परिवार के सदस्य व अन्य किसी के द्वारा किसी प्रकार कां हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित न तो स्वयं करें तथा न ही से करावें तथा प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा न ही प्रार्थी के खेत के सेढा माठ तोडने का प्रयास करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी [illegible] हुए। विप्रार्थी सं. 10 तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। तथा शेष विप्रार्थी 1 [illegible] को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं क[illegible]र उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा धोबली

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोरतरा में खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 5.9300 हेक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारबाडे आदि बने हुऐ है। उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ वक्त विभाजन पूर्व से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षों पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहा है। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी की भूमि के सेढे पर एकतरफ विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 255, 258 आई हुई है जिससे प्रार्थीगण की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार–बार दखलंदाजी जहां तक प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 प्रार्थी के सेढे को तोड़ कर प्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा व अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने का प्रश्न है ऐसी स्थिति में पक्षकारान की विधिवत सुनवाई के जरिये साक्ष्य/सुनवाई के किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परन्तु सहखातेदारी के खेत में बिना अकारण पड़ौसी खातेदारों द्वारा उनके कब्जा काश्त में अवैध अतिक्रमण किये जाने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचरण वाद में कब्जे काश्त को लेकर कोई वाद–विवाद होता है तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व आवेदन को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा घोबली पटवार क्षेत्र गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 5.9300 हेक्टेयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप/दखलदांजी अथवा कब्जा इत्यादि नहीं कर उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी